शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 3 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 13 – 20 जनवरी 2025 मूल्य पांच रूपये

बैंस के आरोपों में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रियंका गांधी का संदर्भ आने का अर्थ

- यह नाम आने के बाद कांग्रेस और भाजपा की खामोशी सवालों में
- दोनों सरकारों में आये हैं केसीसी बैंक पर गंभीर आरोप
- नोटबन्दी के दौरान भी रहा इस बैंक का नाम चर्चा में

शिमला/शैल। एक समय जब मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय उनके बतौर महामंत्री काम कर चुके मण्डी के युद्ध चन्द बैंस द्वारा 11 जनवरी को ऊना में एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाये गये आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल की स्थिति पैदा कर दी। क्योंकि इन आरोपों पर जिस तरह की खामोशी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपना ली है उससे पूरे मामले की गंभीरता और गहरा जाती है। क्योंकि बैंस ने यह दावा किया है कि पिछले वर्ष ई.डी और आयकर ने जो ज्ञान चंद्र तथा संजय ई.डी की जेल में भी पहुंच चुके हैं उसका शिकायतकर्ता बैंस ही था। बैंस ने यह तब कहा जब उसके खिलाफ सचिव सहकारिता की शिकायत पर ऊना में एक आपराधिक मामला विजिलैन्स ने दर्ज कर लिया। बैंस के खिलाफ दर्ज मामले में यह आरोप है कि केसीसी बैंक ने उन्हें कर्ज के लेनदेन में नाबार्ड और बैंक के अपने नियमों की अवहेलना हुई है। बैंस का आरोप है कि बैंक की एक लॉबी उसके पास गिरवी महंगी संपत्तियों के लोन मामलों को उलझा कर उन्हें अपने ही चाहतों को नीलाम करने का षडडंत्र रचती है। बैंक और बैंस के आरोपों की सत्यता परखने के लिए पूरे ऋण मामलों को समझना आवश्यक हो जाता है। इसके लिये शैल समाचार ने बैंस से बात करके जो तथ्य पाये हैं उन्हें पाठकों के सामने रखना आवश्यक हो जाता है।

बैंस के मुताबिक उसने 2017 में मनाली में एक 99 कमरों का फाइव स्टार होटल बनाने के 65 करोड़ के ऋण का एक प्रोजेक्ट केसीसी बैंक को सौपा। बैंक की बीओडी में 65 करोड़ का ऋण मंजूर हो गया और 2017 में ही उसे 8 करोड़ की किस्त भी जारी हो गई। परन्तु यह किस्त जारी होने के बाद बैंक अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को घटाकर 47 करोड़ का कर दिया है। प्रोजेक्ट को घटाने पर इसे एमडी और चेयरमैन के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने माना है कि प्रोजेक्ट को under Finance करना न तो बैंक के हक में है और न ही कर्ज लेने वाले के। इससे प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जायेगा। लेकिन एमडी और चेयरमैन पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। इसमें नाबार्ड के दिशा निर्देशों का मुद्दा खड़ा कर दिया गया। इस तरह दो वर्ष तक बैंक से कोई पैसा नहीं मिला। 2019 के मध्य में 16 करोड़ और 4 करोड़ की दो किस्ते मिली और 2019 के अन्त तक काम हुआ। 2020 में कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया। दूसरे लॉकडाउन के बाद जब किस्त जारी करने के लिए आवेदन किया तो यह आरोप लगा दिया कि बैंक का पैसा किसी और जगह निवेश कर दिया गया है। इसकी एजीएम भारद्वाज ने विजिलैन्स में शिकायत कर दी जबकि बैंक के कागजात के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर पहले ही विजिलैन्स में मामला चल रहा था। इस जांच में बैंस को क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद एजीएम ने एडिशनल रजिस्टर के पास शिकायत कर दी। इस शिकायत पर संपत्ति की वैल्यूएशन शुरू हुई। वैल्यूएशन में एक बार भी बैंस को शामिल नहीं किया गया। जिन प्रापर्टी की Distress Value बैंक ने 2107 में 75 करोड़ आंकी थी । 2021-22 में उसे घटाकर 20 करोड़ दिखा दिया गया। इसकी जब शिकायत की गई तो संबद्ध अधिकारी का निलंबन तक हुआ। लेकिन बैंक ने इस वैल्यूएशन के बाद रिकॉल नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस पर बैंस ने बैंक से और समय देने के लिए यह कहकर आग्रह किया कि वह इसमें निवेशक की तलाश कर रहा है। जो बैंक के पैसे चुकता करके काम शुरू करेगा। लेकिन बैंक ने इसका कोई जवाब देने से पहले ही एजीएम ने एक पत्रकार वार्ता करके बैंस पर फ्रॉड करने का आरोप लगा दिया। इस आरोप पर निवेशक पीछे हट गया। इस पर 20-01-2023 को बैंस ने विजिलैन्स में शिकायत दर्ज करवा दी। बैंक ने बैंस की प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली। इस कब्जे को बैंस ने डीआरटी में चुनौती दी और डीआरटी ने स्टे जारी कर दिया। इसके बाद सुक्खू सरकार पिक्चर में आ गयी। इस पर बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया हमीरपुर के सोना व्यापारी विकी हाण्डा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा

शेष पृष्ठ 8 पर.....

सुक्खू सरकार ने किया प्रदेश की जनता के अधिकारों पर कुठाराघात:बिन्दल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा

कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार निरंतर हिमाचल प्रदेश को गहरे संकट में डालती जा रही है। जहां आर्थिक संकट के नाते हिमाचल के सभी विकास कार्यो को सरकार ने बन्द कर दिया है वहीं 1500 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, पीएचसी, सीएचसी, पटवार सर्कल इत्यादि बन्द करके हिमाचल की जनता के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। उन्होनें कहा कि अत्यंत दुख व कष्ट की बात यह है कि स्कूलों को, संस्थानो को बन्द करने के बाद मुख्यमंत्री कांगड़ा में उन संस्थानो को बन्द करने का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो संस्थान जहां अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, जहां चिकित्सक रोगियों का ईलाज कर रहे थे, जहां अधिकारी ईलाके में विकास कार्यो को अंजाम दे रहे थे उनको बंद करके जो आप स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं, यह सर्वथा निंदनीय है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि अगर सरकार के पास धन की कमी है तो क्यों लाखों-करोड़ों रूपये मंत्रियों के आलिशान कार्यालय बनाने में खर्च हो रहे है? यदि सरकार के पास विकास कार्यो के लिये, संस्थानो के लिए धन नहीं है तो क्यों दो साल तक सीपीएस को लगा कर रखा? उन्हें करोड़ों रूपया दिया और अब उससे भी आगे चलकर लाखों रूपये वकीलों को उस केस को लड़ने के लिये दे रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर करोड़ों रूपये के वकील सरकार ने

शेष पृष्ठ 8 पर.....

कुम्भ परम्परा भारतीय सनातन संस्कृति का हृदय:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रयागराज में महाकुम्भ-2025 के दौरान आयोजित 'भारत की गौरवशाली गाथा-आत्म -संदेह की बेड़ियों को तोड़ते हुए' विषय

पर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए कहा कि कुम्भ परंपरा भारतीय सनातन संस्कृति का हृदय है। यह न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि का भी स्रोत है। उन्होंने कहा कि कुम्भ का मंच भारतीय सभ्यता की अलौकिक महिमा को पहचानने और उसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम भी है।

शुक्ल ने कहा कि कुम्भ केवल नदियों का संगम नहीं, बल्कि विचारों और संस्कृति का भी संगम है। यह भारत के इतिहास की अपार समृद्धि का भी प्रतीक है। हमारी प्रचीन परंपराएं और मूल्य आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है जिससे भारत को वैश्विक पटल पर एक विशेष और शक्तिशाली पहचान मिली है।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति धर्म धार्मिकता, अर्थ आर्थिक समृद्धि , काम सुख की प्राप्ति और मोक्ष मुक्ति के समन्वित प्रयासों पर आधारित है।

राज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व को वसुदेव कुटम्बकम का दर्शन देने वाले देश में आत्म संशय की प्रवृत्ति पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में उपनिवेशिक शक्तियों ने न केवल हमारे संसाधनों का दोहन किया बल्कि हमारी पहचान और विचारों को कमजोर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद की मानसिकता का प्रभाव अभी भी हमारे व्यवहार और सोच में दिखाई देता है।

राज्यपाल ने कहा कि आत्म संशय प्रगति की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने युवाओं से आहवान किया कि वे अपनी संस्कृति की भव्यता, विरासत पर गर्व करने और आत्म गौरव की भावना को पुन: जागृत करने के लिए आगे आएं।

उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्म सम्मान और आत्म गौरव के जागृत होने से भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा। व्याख्यान श्रृंगला के अन्त में राज्यपाल ने भारत के समृद्ध धरोहर के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आहवान किया।

राज्यपाल ने नशामुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों का समर्थन किया

शिमला/शैल। जिला सोलन के अर्की में 'खेल खिलाओ-नशा भगाओ' अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से नशे की लत से निपटने के महत्व पर जोर दिया। अर्की वेल्फेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित एक माह तक चलने वाले इस अभियान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह अनूठी और प्रभावशाली पहल समाज को नशे के दुष्प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रभावी बनाती है। राज्य की समृद्ध परंपराओं और मूल्यों की रक्षा और संवर्धन के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ-साथ सरकारी एवं सामूहिक प्रयास भी आवश्यक हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर, मैंने एक वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में नशा विरोधी अभियान आरम्भ किया था। हालांकि प्रगति धीरे-धीरे हुई है, लेकिन इस खेल-आधारित जागरूकता कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सकारात्मक गति को दर्शाता है।

शुक्ल ने कहा कि इस तरह की पहल तभी सफल हो सकती है जब इसे राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रखा जाए। इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने महिलाओं को नशे की लत के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाली सबसे मजबूत ताकत बताया। वीरता की भूमि के रूप में हिमाचल की समृद्ध विरासत को दर्शाते हुए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि युवाओं में नशे की लत भविष्य की पीढ़ियों को कमजोर कर सकती है।

राज्यपाल ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। राज्यपाल ने खेल-खिलाओ -नशा भगाओ' अभियान के माध्यम से युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदायों के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि वह लोगों को स्वास्थ्य और सकारात्मकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में परिवारों, स्कूलों, समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा हिमाचल बनाएं, जहां हमारे युवा नशे की बेड़ियों से मुक्त होकर शिक्षा, खेल और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से सशक्त बनकर प्रदेश के विकास में सहयोग दें। उन्होंने निरंतर और ईमानदार प्रयासों के माध्यम से बदलाव लाने और नशामुक्त हिमाचल बनाने के लिए एकजुट प्रतिबद्धता का आहवान किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर आयोजित महिला रस्साकशी प्रतियोगिता के फाइनल मैच का भी आनंद लिया। उन्होंने क्रिकेट और रस्साकशी प्रतियोगिता की विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया।

इस अवसर पर सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह तथा अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष कार्य बल गठित करेगी प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं के दुरूपयोग और संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य बल एसटीएफ गठित करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बन गया है जिसके विरूद्ध सख्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए हैं, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है।

एसटीएफ को विशेष प्रशिक्षण और समर्पित कमांडो बल के साथ तैयार किया जाएगा, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ प्रशिक्षण भी शामिल होगा। एसटीएफ के लिए कुछ कर्मी पुलिस विभाग से लिए जाएंगे और बाकी अन्य बलों से शामिल किए जाएंगे।

एसटीएफ के मुख्य उद्देश्यों में नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करना और नष्ट करना, नशीली दवाओं के सरगनाओं और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करना और तेजी से फोरेंसिक प्रोटोकॉल के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है। टास्क फोर्स समन्वित छापेमारी करेगी, नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी अवैध संपत्तियों को जब्त करेगी और नशा करने वालों को पुनर्वास सुनिश्चित करेगी और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार का लक्ष्य नशे के शिकार लोगों के उपचार और पुनर्वास कार्यक्रमों तक पहुंच का विस्तार प्रदान करना है। स्कूलों और कॉलेजों में राज्यव्यापी जागरूकता अभियानों के साथ-साथ 'हिम वीर' और 'हिम दोस्त' जैसी पहलों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाया जाएगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने और फास्ट-ट्रैक जांच और अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटीएफ स्वतंत्र रूप से एसटीएफ पुलिस स्टेशनों के माध्यम से या स्थानीय पुलिस और रेंज, जिला या उप-खंड स्तर पर विशेष इकाइयों के सहयोग से मामलों को पंजीकृत करके जांच करेंगे तथा उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी भी करेगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अपने कार्य संचालन की मजबूती के लिए एसटीएफ पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में धर्मशाला, परवाणू और मंडी में कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय शिमला होगा। यह टास्क फोर्स नियमित रूप से सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह व्यापक दृष्टिकोण नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने तथा एक सुरक्षित और स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हिम महोत्सव दिल्ली हाट में हुआ दो करोड़ का कारोबार

शिमला/शैल। राज्य की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और व्यंजनों का भव्य जश्न मनाने वाला 15 दिवसीय हिमाचल प्रदेश हिम महोत्सव दिल्ली हाट में अपार सफलता के साथ संपन्न हुआ।

हिम महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के सहयोग से किया गया। महोत्सव में न केवल राज्य की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित किया गया, बल्कि स्थानीय कारीगरों को 2 करोड़ रुपये का कारोबार भी दिया गया। महोत्सव से जहां कारीगरों के उत्पादों को व्यापक स्तर पर पहचान मिली वहीं सांस्कृतिक संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हुई।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि हिम महोत्सव ने हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक व्यावसायिक दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हिम महोत्सव ने राज्य के विविध हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधानों और व्यंजनों को पहचान दिलाने के साथ-साथ कारीगरों के लिए सफलतापूर्वक नए व्यावसायिक अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से पारंपरिक शिल्पकला को समसामयिक व्यापार गतिविधियों के साथ-साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी.नजीम ने आगंतुकों से मिली प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि इससे हिमाचली शिल्प में देश की बढ़ती रुचि की झलक दिखती है। उन्होंने कहा कि इस सफलता से कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित होंगे और राष्ट्रीय मंच पर हिमाचल की उपस्थिति और मजबूत होगी।

महोत्सव में विभिन्न प्रकार के 60 स्टॉल लगाए गए जहां कारीगरों ने ऊनी शॉल, चंबा रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग और पारंपरिक आभूषणों सहित हस्तनिर्मित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की।

इसके अतिरिक्त राज्य के प्रसिद्ध व्यंजन हिमाचली धाम के जायके ने आगंतुकों को आकर्षित किया जिससे प्रदेश की संस्कृति का अनुभव और समृद्ध हुआ। हिमाचल की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाते हुए कार्यक्रम में कांगड़ा के गद्दी नृत्य और सिरमौर की नाटी भी शानदार प्रस्तुति दी गई। ग्रैंड फिनाले में हिमाचली फैशन शो भी हुआ जिसमें पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन किया गया जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण रहा।

उत्सव में दो करोड़ रुपये का कारोबार हुआ जिससे हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों के कारीगरों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई। आगंतुकों के साथ सीधे संपर्क ने कारीगरों को उन्हें अपने बाजार की पहुंच बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और व्यापक स्तर पर पहचान बनाने में मदद की। हिम महोत्सव प्रदेश के कारीगरों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसमें पारंपरिक कला को आधुनिक व्यवसायिक गतिविधियों के साथ जोड़ा गया है। महोत्सव ने हिमाचल की समृद्ध विरासत के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संस्कृति के संरक्षण तथा विकास को सुनिश्चित करने में मदद की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी केएस बांशटू, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, प्रबंध निदेशक हिमक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन गंधर्व राठौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खादी बोर्ड अपनी परिसम्पत्तियों का यथोचित उपयोग करना सुनिश्चित करें: उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अपनी परिसंपत्तियों जैसे भवन आदि का समुचित उपयोग करने के लिए इन संपत्तियों को किसी संस्था या सरकारी उपक्रम को किराये पर देना चाहिए। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मण्डल की 239वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। निदेशक मण्डल ने खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की संपत्तियों को किराए पर दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि बोर्ड को आय प्राप्त हो। निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष 2024-25 के संशोधित और 2025-26 के अनुमानित बजट प्रस्ताव क्रमश: 8,90,34,000 रुपये व 9,00,62,000 रुपये का अनुमोदन किया तथा स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर तक 62 प्रतिशत का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा 143 उद्यमियों को सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए 6,02,77,000 रुपये अनुदान राशि वितरित की गई जिसमें लगभग 1,150 रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।

केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा बोर्ड के सेवानिवृत कर्मचारियों को संशोधित सेवानिवृति उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का अनुमोदन किया गया और स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी बोर्ड प्रशांत सरकैक ने निदेशक मण्डल को हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों तथा 238वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार की गई कार्यवाही के सम्बंध में जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नज़ीम, निदेशक उद्योग डॉ. युनुस, विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने शरदोत्सव पर कुल्लू-मनाली की जनता को 206.08 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की दी सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली में राष्ट्र स्तरीय शरदोत्सव के अवसर पर जिला के

लोगों को 206.08 करोड़ रुपये की विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मनाली में 59.21 करोड़ रुपये की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं 147.59 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इनमें वर्ष 2023 में ब्यास नदी में आई भीषण बाढ़ से मनाली व आस-पास के क्षेत्रों में हुए नुकसान के उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पुर्नरुद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय चरण के तहत 7.34 करोड़ रुपये लागत के मनाली-बुरूआ सड़क मार्ग के उन्नयन कार्य, 7.70 करोड़ रुपए लागत के चक्की-हलाण सड़क के उन्नयन कार्य, 9.24 करोड़ रुपये की लागत से पतलीकूहल से हलाण-दो सड़क तथा 6.69 करोड़ रुपए की लागत से फोजल से नेरी सड़क मार्ग के उन्नयन कार्य के लोकार्पण, 3.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सोलंगनाला में वाहन योग्य डबल लेन पुल का लोकार्पण, 7.69 करोड़ रुपये की लागत से पतलीकूहल में निर्मित अंतरराज्यीय बस अड्डा, 14.30 करोड़ रुपये लागत के बस पार्किंग यार्ड मनाली व सुरक्षा कार्य के प्रथम चरण और बंजार तहसील में 2.53 करोड़ रुपये से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाटीबीड़ का लोकार्पण किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने नाबार्ड-आरआईडीएफ के तहत 6.96 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली नग्गर से कृष्ण मंदिर वाया ठावा सम्पर्क सड़क, 8.44 करोड़ रुपए से कुल्लू-मनाली वाम तट पर छरुडु के समीप बाढ़ से हुए भूस्खलन इत्यादि के दृष्टिगत पुनर्निर्माण कार्यो, 8.02 करोड़ रुपए की लागत से कुल्लू-मनाली वाम तट पर चचोगा के समीप आरसीसी सुरक्षा दीवार इत्यादि के निर्माण कार्य, 2.21 करोड़ रुपए की लागत से एनएच-3 से क्लब हाऊस मनाली सड़क तक निर्मित होने वाली बाईपास सड़क व डबल लेन पुल, 12.08 करोड़ रुपए की लागत से 15 मील में ब्यास नदी पर निर्मित होने वाले डबल लेन पुल, 8.66 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत ब्रान के 17 मील में ब्यास नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, 8.72 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत हलाण-दो के पतलीकूहल में ब्यास नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य, 8.73 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत रायसन के रायसन में ब्यास नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य, 8.97 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत द्वाड़ा के द्वाड़ा में ब्यास नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य, 8.34 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत शलीन के कलाथ तथा 8.64 करोड़ रुपए से आलू ग्राऊंड में ब्यास नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य, मनाली में 46.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले वेलनेस सेंटर तथा 11.57 करोड़ रुपये की लागत से नग्गर कैसल के संरक्षण एवं पुर्नरुद्धार कार्य के शिलान्यास किए।

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इन विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यो से लोगों की लंबित मांगे पूरी होने के साथ ही उन्हें आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, सुरेश कुमार एवं अनुराधा राणा और विभिन्न विभागों के अधिकारी व गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नूरपुर को दी 30.85 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र को 30.85 करोड़ रुपये की सात विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दीं। उन्होंने 13.07 करोड़ रुपये लागत की योजनाओं के लोकार्पण और 17.78 करोड़ रुपये की योजनाओं की आधारशिला रखीं।

मुख्यमंत्री 7.82 करोड़ रुपये की लागत से बने दरड़ नाला-डमोह संपर्क मार्ग तथा दो पुलों का लोकार्पण किया तथा 2.05 करोड़ रुपये की लागत से बने जिला फोरेंसिक यूनिट का उदघाटन किया। उन्होंने 2.84 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित खज्जियां हार सम्पर्क मार्ग तथा 36.66 लाख रुपये से बने विद्युत विभाग के उपमंडलीय भवन का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री नूरपुर के जाच्छ में 13.91 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कंडवाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन तथा 86.83 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले गरेली खडड पुल की आधारशिला रखी तथा भूमि पूजन किया।

मुख्यमंत्री ने ज्वाली में किए 184.33 करोड़ रुपये के उद्घाटन व शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 184.33 करोड़ रुपए की 15 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के जरोट में गज्ज खडड पर 86.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया, इस पुल के बनने से ज्वाली और नगरोटा सूरियां के बीच की दूरी 7 किमी कम होगी। साथ ही उन्होंने ठंगर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी-डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। प्रथम चरण में स्कूल के प्राइमरी विंग का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 15.76 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शहरी जलापूर्ति योजना ज्वाली का लोकार्पण किया और नगरोटा सूरियां में 36.55 करोड़ से बनने वाली जल निकासी योजना की आधारशिला भी रखी। उन्होंने बासा में 3.20 करोड़ रुपए से निर्मित वाइल्डलाइफ इन्फॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। सुक्खू ने 7.26 करोड़ रुपए की राशि से विद्युत मंडल ज्वाली में नए ट्रांसफार्मर तथा विद्युत नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण कार्य, 4.91 करोड़ रूपए के अग्निशमन केंद्र एवं कार्यालय भवन ज्वाली का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने 1.48 करोड़ रुपए की चीचड़ से नाग द्रमण बडी दा बला सड़क, 2.11 करोड़ रूपए की जरयाल बस्ती झराड से बन्देरु नडन वाया प्राइमरी स्कूल एवं झराड पटवार खाना तक की सड़क, 4.08 करोड़ रूपए की खरोटा सौहरा गुडा नरगाला कुट मकराहन लब भनेई निचला कुट से प्राइमरी स्कूल समलाना तक बनी सड़क, 6.80 करोड़ रूपए से निर्मित नियाल-झलूँ सड़क तथा पुल, 2.94 करोड़ रूपए से निर्मित मानव भारती पब्लिक स्कूल से गांव रपाट तक बनी सड़क, 3.66 करोड़ से बनी अपर कटोरा घेरा से बनतुंगली सड़क, 2.18 करोड़ रूपए की गिरन खडड नोडिकूट जरपाल से अमलेला घाडजरोट फेज-2 सड़क तथा 2.07 करोड़ रूपए की गिरन खडड नोडिकूट जरपाल अप्पर अमलेला से अमलेला घाडजरोट फेज-3 सड़क का लोकार्पण किया।

पूर्व सैनिकों, सैनिकों व उनके परिवार के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्धः डॉ. शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि राज्य के युवा देश की सशस्त्र सेनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सरकार हमारे

वयोवृद्ध युद्ध सैनिकों, विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और सेवारत सैनिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह बात सैनिक कल्याण विभाग और हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध स्मारकों और सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण, रखरखाव और सौंदर्यीकरण भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

मंत्री ने वयोवृद्ध युद्ध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण, पुनर्वास और वित्तीय सहायता के लिए विभाग और निगम द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों की प्रशंसा की।

सैनिक कल्याण विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि यह लोगों के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य में 1,191 वीरता/विशिष्ट पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेता योजना के तहत उनके कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 250 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अनुग्रह अनुदान की दरों में 1.5 गुणा वृद्धि की है और वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए आय सीमा को समाप्त किया गया है। सरकार ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सैनिकों, गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और विधवाओं की वृद्धावस्था पेंशन के लिए 671.40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। युद्ध जागीर योजना के लाभार्थियों के लिए 15 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार, अनुग्रह, विभिन्न संगठनों को सहायता और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के लिए विशेष निधि के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने निगम की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य या केंद्र सरकार के संस्थानों की 139 परियोजनाओं में कुल 4,005 पूर्व सैनिकों को रोजगार सुनिश्चित किया गया है। इनमें से 2,075 पूर्व सैनिकों को राज्य के भीतर और 1930 पूर्व सैनिकों को राज्य के बाहर रोजगार प्रदान किया गया है। पिछले दो वर्षो में पूर्व सैनिकों के 115 ट्रक सीमेंट कारखानों लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि निगम स्वरोजगार पहलों को समर्थन देने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की एसएसबी और नीट/जेईई की कोचिंग फीस का शत-प्रतिशत भुगतान निगम द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण के सचिव राकेश कंवर सहित विभाग व निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रझाणा में बनेगा राज्यस्तरीय कोली समाज सामुदायिक भवनः धनी राम शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने बताया कि जिला शिमला के विकास खंड मशोबरा की रझाणा पंचायत में राज्यस्तरीय कोली समाज सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज के सभी वर्गो तथा समुदायों को लाभान्वित करने के लिए बनाए जा रहे इस भवन के निर्माण से संबंधी आवश्यक प्रक्रिया को आगामी दो माह के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने यह बात हिमाचल प्रदेश कोली समाज रजिस्टर्ड के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंघमार, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़ा वर्गो, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण की निदेशक किरण भड़ाना, हिमाचल प्रदेश कोली समाज रजिस्टर्ड के तहत भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष उत्तम कश्यप, महा मंत्री गोपाल झिल्टा, मुख्य सलाहकार बलदेव शांडिल, कार्यालय सचिव लायक राम कौशल, सदस्य चेत राम चौहान व ओंकार चंद्र भी उपस्थित थे।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभागों को विकास योजनाओं में डीआरआर पहलों को शामिल करने को कहा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एचपीएसडीएमए ने संबंधित विभागों और संगठनों को अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण डीआरआर पहलों को एकीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि मानसून के दौरान भूस्खलन और अन्य प्रक्रियाओं को रोका जा सके।

प्राधिकरण के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि विभागों को व्यापक जोखिम आकलन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी योजनाएं और डिजाइन आपदा- रोधी हैं। सभी विभागों और संगठनों को तैयारी, क्षमता निर्माण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए 2012-एचपीएसडीएमए दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाव है।

अपने मिशन में अटूट विश्वास से प्रेरित दृढ़ निश्चयी लोगों का एक छोटा समूह इतिहास की दिशा बदल सकता है।

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

भयानक है इस बार चुनाव आयोग पर उठते सवाल

ई.वी.एम. के माध्यम से जब से मतदान शुरू हुआ है तभी से इन मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते आ रहे हैं। सबसे पहले उनकी विश्वसनीयता पर भाजपा ने सवाल उठाये थे। जब आडवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब वाकायदा एक किताब लिखकर इन मशीनों की कमियां गिनाई गई थी। फिर भाजपा नेता डॉ. स्वामी इस मुद्दे पर अदालत पहुंचे। तब इन मशीनों के साथ वी.वी.पैट में मिलान करने का प्रावधान किया गया। लेकिन मशीनों की विश्वसनीयता पर उठते सवाल कम नहीं हुये। मतदान वैलेट पेपर से करवाने की मांग बढ़ती चली गई। अठराह राजनीतिक दल एक साथ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और वैलेट पेपर से मतदान की मांग रखी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मांग तो अस्वीकार कर दी लेकिन यह प्रावधान कर दिया कि ई.वी.एम वी.वी.पैट का सारा रिकॉर्ड 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जायेगा। इसी के साथ यह भी प्रावधान कर दिया गया कि यदि चुनाव परिणाम के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी चुनाव पर आपत्ति जताते हुए इसकी जांच की मांग करते हैं तो वी.वी.पैट और ईवीएम मशीनों का मिलान किया जाये। इस पर आने वाला खर्च इन लोगों से लिया जाये। यदि इनके मिलान में गड़बड़ी सामने आती है तो इनका पैसा इनको वापस कर दिया जाये और अगली कारवाई अमल में लायी जाये।

पिछले वर्ष हुये लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समय यह वैधानिक वस्तुस्थिति थी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनाव में यह अनुमान लगाये जा रहे थे की इन राज्यों में कांग्रेस और इण्डिया गठबंधन निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। लेकिन चुनाव परिणामों में परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। इसके बाद ईवीएम मशीनों और चुनाव आयोग पर जो गंभीर आरोप लगे उनमें आयोग पर चुनाव डाटा जारी करने में गड़बड़ी के आरोप लगे। मशीनों की बैटरी चार्जिंग प्रतिशतता पर सवाल उठे। मतदान के आंकड़ों पर सवाल उठे। चुनाव आयोग के पास प्रमाणों के साथ शिकायतें दायर हुई। जिन्हें आयोग ने अस्वीकार कर दिया। महाराष्ट्र में तो कुछ गांव में कांग्रेस इण्डिया गठबंधन को एक भी वोट नहीं मिलने के तथ्य सामने आये। ग्रामीणों ने ईवीएम मशीनों की प्रमाणिकता के लिये मॉक पोलिंग का सहारा लिया जिसे चुनाव आयोग ने रोक दिया। लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले बने और कुछ को जेल तक जाना पड़ा। हरियाणा में लोगों ने अदालत का रुख किया। पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सारा रिकॉर्ड और सी.सी.टी.वी फुटेज का डाटा उपलब्ध करवाने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने यह डाटा देने के आदेश कर दिये। लेकिन जिस दिन यह आदेश हुये उसी दिन इस संबंध में कानून बनाकर यह डाटा देने पर रोक लगा दी गई। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह डाटा देने से इसलिये मना कर दिया है कि इसमें करोड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग है जिसे खंगालने में 36 वर्ष लग जायेंगे। आयोग के इस तर्क से मशीनों और आयोग पर उठते सवाल स्वत: ही और गंभीर हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी वही डाटा/फुटेज देखने की आवश्यकता होगी जहां पर गड़बड़ी की आशंका होगी। इस प्रकरण में हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम आने पर कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज इनेलो के अर्जुन चौटाला से हार गये। इस हार के बाद उन्होंने नौ बूथों पर ईवीएम मशीनों और वीवीपीएटी के मिलान और जांच के लिये आवेदन कर दिया। आवेदन के साथ 4,34,000 की फीस भी जमा करवा दी। उनके आवेदन पर जांच के आदेश भी हो गये। चुनाव में जितने भी प्रत्याशी थे सबको इस जांच के दौरान हाजिर रहने के आदेश हो गये। लेकिन जब चैकिंग की बात आयी तो जिन मशीनों पर वोटिंग हुई थी उनका रिकॉर्ड दिखाने की बजाये वह डाटा डिलीट कर नये सिरे से मॉक वोटिंग करके उसकी गणना करने का आयोग की ओर से फरमान जारी हो गया। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने सारी प्रक्रिया को वहीं रुकवा दिया। अब यह मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की संभावना बन गयी है। चुनाव आयोग के अपने आचरण से ही कई गंभीर शंकाएं उभर जाती हैं।

इस सारे प्रकरण के बाद जो सवाल उठते हैं उनमें सबसे पहला सवाल यह उठता है कि शीर्ष अदालत ने सारा रिकॉर्ड पैंतालीस दिनों तक सुरक्षित रखने का फैसला दिया है। चुनाव परिणाम पर सवाल उठने का हक दूसरे और तीसरे प्रत्याशी को पूरा खर्च जमा करवाने के बाद दिया है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह रिकॉर्ड देने का आदेश पारित कर दिया। फिर इस आदेश के बाद कानून बदलकर रिकॉर्ड देने पर रोक का प्रावधान क्यों किया गया? जब महाराष्ट्र में मॉक वोटिंग रोकने के लिये आयोग ने पुलिस बल का प्रयोग करके उसे रोक दिया तो हरियाणा में रानिया विधानसभा में इस मॉक वोटिंग पर आयोग क्यों आया। इस बार चुनाव डाटा देरी से जारी करने का सबसे बड़ा आरोप आयोग पर लगा है। अब जो परिस्थिति अदालत के फैसले और आयोग के आचरण से निर्मित हुई है उसके परिणाम आने वाले समय में बहुत गंभीर होंगे। रानिया में जिस तरह का आचरण सामने आया है उससे अब तक के सारे चुनाव परिणामों पर जो सन्देह आयेगा उसका अंतिम परिणाम क्या होगा यह एक बड़ा सवाल होगा।

अब संभव नहीं खिलाफत, इस्लाम की छवि को नष्ट कर रहा है पवित्र ग्रंथों की गलत व्याख्या

गौतम चौधरी

यह घटना इसी साल की है। नए साल के अवसर पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे कि अचानक एक ट्रक ने उस जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया। ट्रक उस समय तक जश्न मना रहे लोगों को रौंदता रहा जब तक पुलिस ने ट्रक चालक की हत्या नहीं कर दी। यह घटना संयुक्त राज्य अमेरिका के लुसियाना प्रांत स्थित न्यू ऑर्लियंस, बॉर्बन स्ट्रीट की है। इस भीषण हादसे में 15 लोगों की जान चली गयी और 35 लोग बुरी तरह घायल हो गये। बाद में अमेरिका की जांच एजेंसी ने इस घटना को एक आतंकवादी हमला बताया। हमलावर की पहचान, 42 वर्षीय शम्सुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है, जो टेक्सास का निवासी पूर्व सैनिक था। उसके वाहन से आईएसआईएस का झंडा और विस्फोटक उपकरण बरामद हुए, जिससे उसकी इस्लामिक स्टेट से संबंधों की आशंका जताई जा रही है। शम्सुद्दीन जब्बार न्यू ऑर्लियंस में नए साल के अवसर पर हुए आतंकी हमले का मुख्य आरोपी, इस्लामिक स्टेट का कट्टर समर्थक बताया जा रहा है। उसकी पृष्ठभूमि और गतिविधियों की जांच से पता चलता है कि वह कट्टरपंथी इस्लामी साहित्य और विचारधारा से प्रभावित था। जब्बार ने हमले से पहले सोशल मीडिया मंचों पर कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पोस्ट कर चुका था। उन पोस्टों में उसने संगीत, ड्रग्स और शराब की निंदा की थी। इन रिकॉर्डिंग्स में कट्टरपंथी विचारधारा के संकेत मिलते हैं। एफबीआई की जांच में पाया गया कि जब्बार आईएसआईएस के ऑनलाइन प्रचार से प्रभावित था और उसने हमले से पहले आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली थी। उसकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा मिलना इस बात का संकेत देता है कि जब्बार इस्लाम की गलत व्याख्या और प्रचार के कारण खूंखार चरमपंथी बन चुका था।

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस एक कट्टरपंथी आतंवादी संगठन है, जिसने इस्लाम की वि त व्याख्या के माध्यम से अपने हिंसक एजेंडे को आगे गढ़ाया है। इसका लक्ष्य ''खिलाफत'' स्थापित करना है लेकिन इसके कार्य और विचारधारा इस्लाम की मुख्य धारा वाले चिंतन से पूरी तरह अलग और विवादास्पद हैं। आईएसआईएस जैसे संगठन इस्लामिक शिक्षाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। आईएसआईएस के एजेंट इस्लामिक पवित्र ग्रंथों की गलत व्याख्या करके तथा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मुहम्मद के संदेशों और संदर्भों को संदर्भ से बाहर निकाल कर हिंसा को सही ठहराते हैं, जो इस्लाम का अंग ही नहीं है। उदाहरण के लिए वे ''जिहाद'' की विकृत व्याख्या के माध्यम से अपने कुत्सित मंसूबों के लिए संवेदनशील मस्तिष्कों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस्लाम में ''जिहाद'' का अर्थ ''संघर्ष'' है, जो आत्म-सुधार और धार्मिक कर्तव्यों के लिए हो सकता है, जबकि आईएसआईएस ने इसे हिंसक युद्ध और आतंकवाद के पर्याय के रूप में प्रचारित किया। इसी प्रकार आईएसआईएस के एजेंट अधर्मियों के खिलाफ हिंसा का बहाना बना गैरकानूनी हिंसा को उचित ठहराते हैं। इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में ''अधर्मियों'' का उल्लेख है, लेकिन यह संदर्भ विशेष एतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ा है। आईएसआईएस इस संदर्भ को हटा देता है और हर गैर-मुस्लिम या यहां तक कि हर असहमत मुस्लिमों को भी ''अधर्मी'' घोषित कर उनके खिलाफ हिंसा को उचित ठहराते हैं। खिलाफत इस्लामिक इतिहास का एक राजनीतिक और धार्मिक ढांचा था, जिसे सामूहिक सहमति और न्याय पर आधारित माना गया था। आईएसआईएस ने इस धारणा को विकृत से व्याख्या किया और अपने प्रचार माध्यम से उसे प्रचारित करना प्रारंभ किया है, जो आधुनिक दुनिया में संभव ही नहीं है। इसके लिए कई मुस्लिम राष्ट्रों के राजनीतिक ढांचे को ध्वस्त करना होगा। और ऐसा तभी संभव है जब लाखों की संख्या में लोग मारे जाएं। इसमें से कोई गैर-मुस्लिम नहीं होगा। सब के सब मुसलमान ही मारे जाएंगे। यहां एक बात यह भी बता दें कि जिहाद की घोषणा कोई प्रभुसत्ता संपन्न मुस्लिम राष्ट्र ही कर सकता है, जिसे इस्लामिक कायदों के अनुसार इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया हो। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आईएसआईएस को किसी इस्लामिक संस्था ने मान्यता तक नहीं दी है तो वह जिहाद की घोषणा कैसे कर सकता है?

मध्यपूर्व में कट्टरपंथ के बढ़ने के अनेक कारण हैं। इसमें सबसे प्रमुख है, सामाजि-राजनीतिक अस्थिरता। इराक और सीरिया जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध ने कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में आर्थिक असमानता और हताशा भी चरमस्थिति में है। इन क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी ने युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर ढकेला है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक ज्ञान की कमी और संदर्भ से काट कर धार्मिक अवधारणाओं की व्याख्या के कारण लोग आसानी से कट्टरपंथी विचारधाराओं के शिकार बन जाते हैं। ऐसे में यह समय की मांग है कि इस्लाम का वास्तविक संदेश उसकी एतिहासिक और वास्तविक संदर्भों के अनुसार विश्व में प्रसारित किया जाए। लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि इस्लाम शांति, सहिष्णुता और दया का धर्म है, न कि हिंसा और कट्टरपंथी चिंतन का।

इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या को मानवता के खिलाफ अपराध बताया गया है, ''जिसने किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की उसने पूरी मानवता की हत्या की और जिसने किसी की जान बचाई, उसने पूरी मानवता को बचाया।'' इस्लामिक चिंतन के विद्वान मुफ्ती तुफैल खान कादिरी कहते हैं कि इस्लामिक ग्रंथों को समझने के लिए इसके सदर्भगत ढ़ाचे को पहचानना आवश्यक है। इस्लामी व्याख्या के विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक आयत एक विशेष स्थिति को संबोधित करती है और इसकी व्याख्या ग्रंथ की व्यापक कथा के भीतर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए आयत 9:111 को उस समय के रक्षात्मक युद्ध के संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता जब मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व दव पर लगा था। इसके अलावा, इस्लामिक विद्वानों ने लगातार ऐसी आयतों के दुरुपयोग की निंदा की है। उनका तर्क है कि जिहाद, जिसे अक्सर पवित्र युद्ध के रूप में गलत समझा जाता है, मुख्य रूप से आत्म-सुधार और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करने को संदर्भित करता है। इस्लाम में अनुमत सशस्त्र संघर्ष को शक्ति से विनियमित किया जाता है और केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। जैसे-आत्मरक्षा के लिए या उत्पीड़न का विरोध करने के समय। चरमपंथियों द्वारा पवित्र ग्रंथ की आयतों का दुःखद दूरुपयोग न केवल हिंसा को बढ़ावा देता है, बल्कि इस्लाम के सच्चे संदेश को भी विकृत कर देता है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ की सभी आयतों की तरह आयत 9:111 को भी इसके एतिहसिक और पाठय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सही ढ़ंग से व्याख्या किए जाने पर, यह नैतिकता और कानून की सीमाओं के भीतर बलिदान और न्याय के सिद्धांतों को दर्शाता है, न कि निरर्थक हिंसा को। इसलिए प्रासंगिक समझ को बढ़ावा देने बेहद जरूरी है। यही नहीं प्रमाणिक विद्वानों के साथ जुड़ कर ही चरमपंथी आख्यानों का मुकाबला किया जा सकता है। सच्चा संदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को पवित्र ग्रंथ की आयतों के एतिहासिक और पाठय संदर्भो के बारे में शिक्षित कर सकता है। यह ज्ञान हेरफेर और निहित स्वार्थो के लिए न होकर विशुद्ध रूप से आत्मयुद्धि के लिए होगा।

इस्लाम के नाम पर फैलती कट्टरपंथी भावनाओं के समाधार और रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा को रखा जाना चाहिए। साथ ही दीनी शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ना जरूरी है। अब खिलाफत किसी कीमत पर संभव नहीं है। हां मुस्लिम राष्ट्रों का एक संघ हो सकता है। इसकी समझ विकसित की जाने की जरूरत है। जिस प्रकार पोप का साम्राज्य समाप्त हो गया उसी प्रकार अब एक खलिफा पूरे मुस्लिम विश्व का शासक नहीं हो सकता है। इसी खिलाफत को लेकर इस्लामिक दुनिया में कई प्रभावशाली देश एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई के मैदान में हैं। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किये, मिस्र आदि एक-दूसरे खिलाफ खिलाफत के लिए ही तो तलवारें ताने हुए हैं। खिलाफत एक प्रकार का राजनीतिक ढ़ांचा था उसे प्राप्त करने की जिद्द ने मुसलमानों का बहुत नुकसान किया है। इसलिए कट्टरपंथ के खिलाफ समुदाय का समर्थन आवश्यक है। अत: धार्मिक और सामाजिक नेताओं को कट्टरपंथ के खिलाफ स्पष्ट रूप से आवाज उठानी चाहिए। उसके साथ ही साइबर सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर कट्टरपंथी सामग्री पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। तभी शम्सुद्दीन हारेगा और इस्लाम जीतेगा।

कानूनी भूमि स्वामित्व के साथ ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण

65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित

''ग्रामीण भारत के लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है''

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को ''अधिकारों का रिकॉर्ड'' प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देना है। भूमि सीमांकन के लिए उन्नत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हुए, यह योजना संपत्ति मुद्रीकरण को बढ़ावा देती है, बैंक ऋण तक पहुँच को आसान बनाती है, संपत्ति विवादों को कम करती है और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को बढ़ावा देती है। सच्चे ग्राम स्वराज को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में यह पहल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है!

18 जनवरी 2025 को, आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना के प्रतिबिंब के रूप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की उपस्थिति में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गाँवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड ई-वितरित किए। समारोह के दौरान, उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और लाभार्थियों के साथ बातचीत की, जिसमें देश भर के गणमान्य व्यक्ति वर्चुअली शामिल हुए।

यह आयोजन स्वामित्व योजना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है, जो कानूनी भूमि स्वामित्व के साथ ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के परिकल्पना को आगे बढ़ाता है।

स्वामित्व की आवश्यकता

दशकों से भारत में ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधूरा रहा है, कई राज्य गाँवों के आबादी क्षेत्रों का मानचित्रण या दस्तावेजीकरण करने में विफल रहे हैं। कानूनी रिकॉर्ड की कमी ने इन क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को औपचारिक रिकॉर्ड के बिना छोड़ दिया, जिससे उन्हें अपने घरों को अपग्रेड करने या ऋण और अन्य वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँचने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया है। इस तरह के दस्तावेजीकरण की अनुपस्थिति सात दशकों से अधिक समय तक बनी रही, जिससे ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न हुई है। आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति रिकॉर्ड के महत्व को समझते हुए, एक आधुनिक समाधान की आवश्यकता थी। फलस्वरूप, गाँव के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक का लाभ उठाने के लिए स्वामित्व योजना की अवधारणा की गई थी। बहुत कम समय में पीएम स्वामित्व ने पहले ही अनुकरणीय मील के पत्थर हासिल कर लिए हैं।

योजना की उपलब्धियाँ

18 जनवरी 2025 को 10 राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख) के 50,000 से अधिक गाँवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड का वितरण।

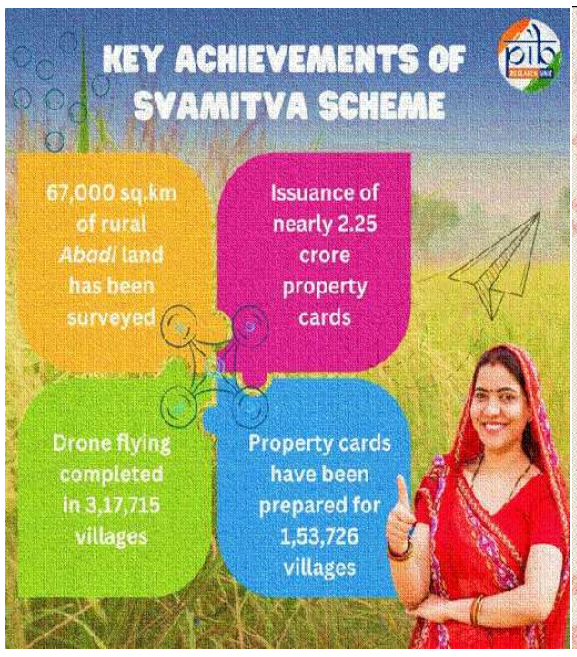

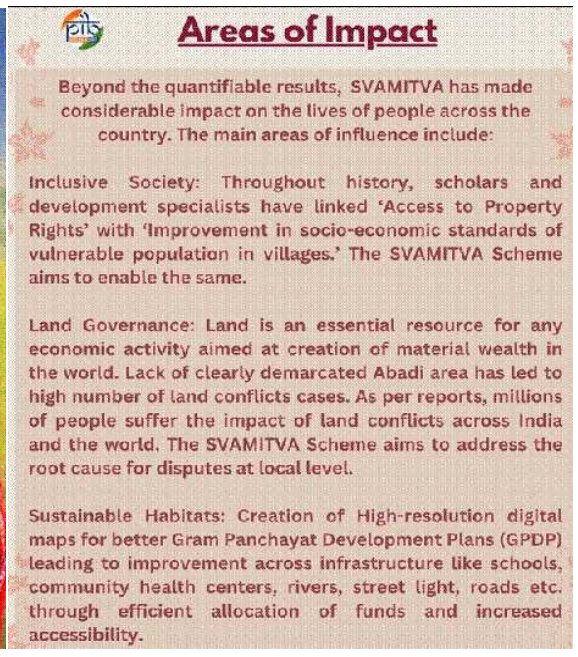

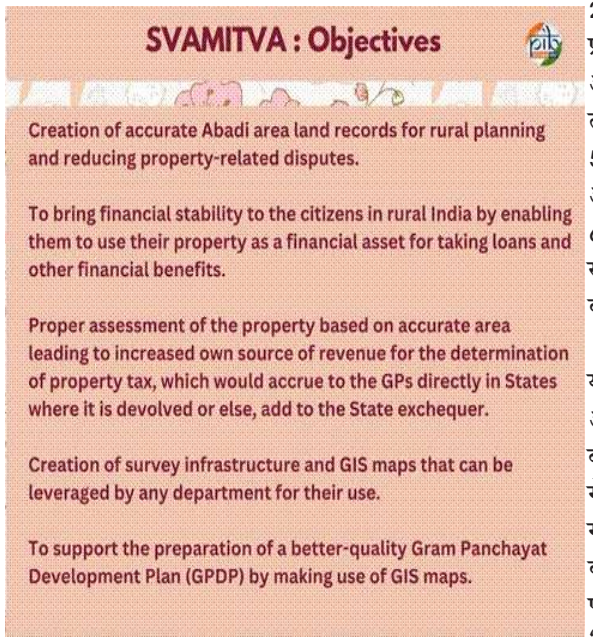

स्वामित्व योजना के अंतर्गत, गाँवों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकाना हक वाले ग्रामीण परिवारों को ''अधिकारों का रिकॉर्ड'' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को शुरू किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के अंतर्गत कुल 3,46,187 गाँवों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 3,17,715 गाँवों में ड्रोन उड़ाने का कार्य पूरा हो चुका है, जो 92% उपलब्धि है।

राज्य जाँच के लिए नक्शे सौंपे गए हैं और 1,53,726 गाँवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने 100% ड्रोन सर्वेक्षण हासिल कर लिया है, तथा संपत्ति कार्ड तैयार करने में क्रमशः 73.57% और 68.93% की पर्याप्त प्रगति हुई है।

हरियाणा और उत्तराखंड ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयार करने दोनों में 100% पूरा होने के साथ आगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ने ड्रोन सर्वेक्षण में सराहनीय प्रगति की है , महाराष्ट्र और गुजरात ने 98% से अधिक हासिल किया है, हालांकि संपत्ति कार्ड तैयार करने में और तेजी लाने की आवश्यकता है।

कुल 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, जिसका मूल्य 132 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो इस पहल के आर्थिक महत्व पर बल देता है।

एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड कार्यान्वयन प्रगति की वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड आसानी से उपलब्ध है, जिससे वे अपने कार्ड को डिजिटल रूप से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

इस योजना में सर्वेक्षण-ग्रेड ड्रोनों को सतत प्रचालन संदर्भ प्रणाली (सीओआरएस) नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है, जिससे उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्र शीघ्रता से और सटीक रूप से तैयार किए जा सकेंगे, जिससे ग्रामीण भूमि सीमांकन की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

स्वामित्व का व्यापक प्रभाव सफलता की कहानियाँ

स्वामित्व योजना एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है, जो ग्रामीण शासन को नया आकार दे रही है और संपत्ति सत्यापन तथा भूमि प्रबंधन के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बना रही है। ये उदाहरण ग्रामीण प्रगति को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका को रेखांकित करते हैं।

विवाद समाधानः 25 साल की अनिश्चितता के बाद, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर तहसील के तारोपका गाँव की श्रीमती सुनीता को आखिरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से अपनी पुश्तैनी जमीन का स्वामित्व मिल गया। अपने संपत्ति कार्ड के साथ, उन्होंने अपने पड़ोसी के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाया, जिससे उसके परिवार के भविष्य में बहुत ज़रूरी शांति और स्थिरता मिली। स्वामित्व पहल ने स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्रदान किया, जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

महिला सशक्तिकरणः 1947 के विभाजन के समय शरणार्थी रहीं श्रीमती स्वर्ण कांतरा के पास कभी भी उस ज़मीन के आधिकारिक स्वामित्व के कागजात नहीं थे, जिस पर वे वर्षों से रह रही हैं। पहली बार उन्हें संपत्ति कार्ड मिला, जिससे उन्हें कानूनी स्वामित्व मिला और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ। यह स्वामित्व उन्हें न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सम्मान और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। स्वामित्व योजना के माध्यम से, श्रीमती कांतरा ने जम्मू और कश्मीर के साँबा जिले की रामगढ़ तहसील के धूप सारी गाँव में अपने परिवार के लिए सशक्तीकरण और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपनी ज़मीन पर कानूनी अधिकार प्राप्त किए।

वित्तीय समावेशनः राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के फलाटेड गाँव के श्री सुखलाल पारगी को स्वामित्व योजना के तहत पट्टा और संपत्ति कार्ड मिला। इस आधिकारिक दस्तावेज ने उन्हें औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाया है। संपत्ति कार्ड का उपयोग करके, उन्होंने सफलतापूर्वक 3 लाख रुपये का बैंक ऋण प्राप्त किया, जिसे सुव्यवस्थित तरीके से वितरित किया गया। स्वामित्व योजना ने उन्हें न केवल कानूनी स्वामित्व प्रदान किया है, बल्कि आर्थिक विकास और स्थिरता का अवसर भी प्रदान किया है।

राजस्व का अपना स्रोत बढ़ायाः सरपंच श्रीमती शीतल किरण तिलकदार के नेतृत्व में एखतपुर-मुंजवाड़ी में स्वामित्व योजना ने सफलतापूर्वक घरों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए, भूमि विवादों को कम किया और सार्वजनिक स्थान प्रबंधन में सुधार किया। इसने अतिक्रमण और सड़क संबंधी मुद्दों को हल करने में मदद की, जिससे बेहतर ग्राम नियोजन संभव हुआ है। इस योजना ने अद्यतन संपत्ति रिकॉर्ड के साथ ग्राम पंचायत के स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) को बढ़ावा दिया और निवासियों को निर्माण के लिए बैंक ऋण तक पहुँच प्रदान की, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। इस पहल ने शासन, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाया, जिससे भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक मॉडल तैयार हुआ है।

पंचायत नियोजन के लिए स्वामित्व मानचित्रों का लाभः स्वामित्व योजना से पहले, मध्य प्रदेश के सीहोर में बिलकिसगंज ग्राम पंचायत हाथ से बनाए गए मानचित्रों पर निर्भर थी, जिससे सटीक भूमि आयाम निर्धारित करना और सेवा लागत का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया था। स्वामित्व मानचित्रों और स्थानिक नियोजन की शुरुआत के साथ, पंचायत के पास अब सटीक, डेटा-संचालित जानकारी तक पहुँच है। इस नवाचार ने विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन में सुधार किया है और विकास नियोजन को अनुकूलित किया है। श्रीमती प्रिया राजेश जांगड़े के नेतृत्व में, स्थानिक रूप से सूचित नियोजन में बदलाव ने निर्णय लेने को सुव्यवस्थित किया है, जिससे अधिक प्रभावी भूमि उपयोग और बेहतर सेवा वितरण संभव हुआ है, जिससे बिलकिसगंज को सतत विकास के लिए सशक्त बनाया गया है।

भारत के भूमि प्रशासन मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच

भविष्य को देखते हुए, मंत्रालय वैश्विक मंचों पर स्वामित्व योजना की सफलता को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है। मार्च 2025 में, विदेश मंत्रलय के सहयोग से, एमओपीआर ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 40 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, भारत में भूमि प्रशासन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य दुनिया भर में इसी तरह की पहल के लिए सहयोग को बढ़ावा देते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत ड्रोन और जीआईएस प्रौद्योगिकियों को साझा करना है। मई 2025 में, मंत्रालय भारत की उपलब्धियों को उजागर करने और मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वाशिंगटन में विश्व बैंक भूमि प्रशासन सम्मेलन में भाग लेने की भी योजना बना रहा है।

स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की कहानी को नया आकार दे रही है-भूमि स्वामित्व की सदियों पुरानी चुनौतियों को विकास और सशक्तिकरण के अवसरों में बदल रही है। नवाचार को समावेशिता के साथ जोड़कर, यह बाधाओं को तोड़ती है, विवादों को सुलझाती है और संपत्ति को आर्थिक प्रगति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल देती है। हाई-टेक ड्रोन सर्वेक्षण से लेकर डिजिटल संपत्ति कार्ड तक, यह योजना केवल नक्शे और सीमाओं के बारे में नहीं है, यह सपनों और संभावनाओं के बारे में है। जैसे-जैसे गाँव इस बदलाव को अपनाते हैं, स्वामित्व एक सरकारी पहल से कहीं बढ़कर तथा बनकर उभरता है-यह आत्मनिर्भरता, बेहतर योजना और एक मजबूत, एकीकृत ग्रामीण भारत के लिए उत्प्रेरक है।

पूर्व भाजपा सरकार ने संसाधन जुटाने को कुछ नहीं किया, सुधार का कर रहे विरोधः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के नूरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आर्या राजकीय स्नातक महाविद्यालय नूरपुर के लिए पांच करोड़ रुपये, मदर एंड चाइल्ड

अस्पताल को आरम्भ करने के लिए तीन करोड़ रुपये, वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए दो करोड़ रुपये, नूरपुर में सड़कों के रख-रखाव के लिए दो करोड़ रुपये और जसूर-कटाहल सड़क के लिए दो करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने नूरपुर में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नशा माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ माह से पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध व्यापक अभियान आरम्भ किए हैं तथा इस अभियान के तहत नशा तस्करों की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को राज्य में लागू किया है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में लगातार शामिल अपराधियों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार, वर्तमान सरकार पर 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण तथा कर्मचारियों की देनदारियों के 10 हजार करोड़ रुपये का बोझ छोड़ कर गई है। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश में लोगों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने संसाधन जुटाने के लिए कुछ नहीं किया और वह सुधार का विरोध कर रहे हैं, जबकि जनता राज्य सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में सही समय पर बीमारी की पहचान के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थीं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि लोगों को प्रदेश के भीतर से विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ सर्विस निदेशालय और मेडिकल कॉलेज का काडर अलग-अलग किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्ष में वर्तमान राज्य सरकार ने 28 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया। इसमें से 18 हजार करोड़ रुपये पहले से लिए ऋण और ब्याज लौटाने पर व्यय किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार वित्तीय सुधार ला रही है और प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देने वाली संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने दक्ष प्रयासों से पिछले वर्ष 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जबकि इस वर्ष 2400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछली डबल ईजन की सरकार ने सभी सुविधाओं का स्तर निम्नस्तर पर पहुंचा दिया और चुनावी लाभ के लिए साधन सम्पन्न लोगों को भी सब्सिडी का लाभ दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संपन्न लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, मजदूरों, किसानों सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश की संपदा पर सभी वर्गों का अधिकार है।

पूर्व विधायक अजय महाजन ने मुख्यमंत्री का नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया और कहा कि पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, कांग्रेस नेता कर्ण पठानिया, उपायुद्र हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला शहर की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थापित की गई पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 8,500 वर्ग मीटर भूमि पर 4.74 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2,000

यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे हर महीने 2.80 लाख रुपये की आय होगी।

इस परियोजना का निर्माण कार्य अक्तूबर, 2023 में शुरू किया गया था और नवम्बर, 2024 में पूरा हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। इस परियोजना में 1,364 सौर पैनल शामिल हैं, जो बिजली और अग्नि सुरक्षा सहित व्यापक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित हैं और विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अर्थिंग और बॉन्डिंग सिस्टम भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली सात सौर ऊर्जा परियोजनाएं जल्द ही आवंटित कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 325 मेगावाट क्षमता वाली आठ परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार 200 किलोवाट के ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को 'ग्रीन पंचायत' के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना 15 अप्रैल, 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। अप्रैल से अक्तूबर 2024 तक इस परियोजना से साढ़े छह महीने में 34.19 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई, जिससे 10.16 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके अतिरिक्त, ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर, 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने के लिए प्रयासशील है। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे वन विभागःमुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के पौंग डैम में पक्षियों को निहारा और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बाथू की लड़ी में प्राचीन मंदिरों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में

पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि साइबेरिया और मंगोलिया से प्रवासी पक्षी पौंग डैम में आते हैं यह देश भर से आये पर्यटकों का मुख्य आकर्षण होते हैं। उन्होंने वन विभाग को इन पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए दो नावें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और आगंतुकों के लिए दो अन्य स्पीड बोट की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में लगभग 25 से 30 हजार पर्यटकों ने भ्रमण किया था। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौंग डैम के निकट क्षेत्रीय जल केन्द्र में जल क्रीड़ा गतिविधियों को शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के बासा में 3.20 करोड़ रुपये की लागत से वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है ताकि पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव प्राप्त हो और वन्य जीव से संबंधित शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस केंद्र का उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व और इन पक्षियों के प्रवास स्वरूप के बारे में जागरूकता लाना है।

उन्होंने कहा कि केंद्र में ठहरने और डोरमेट्री की व्यवस्था भी की गई है, जहां कॉलेज और स्कूलों के छात्र पौंग की समृद्ध जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके माध्यम से युवाओं को प्रकृति से जुड़ने, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के गहन अध्ययन का अवसर उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष पौंग बांध पर दिसंबर, 2024 तक 92,885 प्रवासी पक्षियों की संख्या दर्ज की गई हैं तथा सीजन के अंत तक इनकी संख्या एक लाख होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि औसतन प्रतिवर्ष 100 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पौंग बांध आते हैं, इस वर्ष इनकी 85 प्रजातियां देखी जा चुकी हैं।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, उपायुक्त हेमराज बैरवा,तथा अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगीः उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं और राज्य सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के परिवहन की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर चौकियां स्थापित की हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह बात राज्य में खनन गतिविधियों से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह अवैध व्यापार अभी भी जारी है क्योंकि उल्लंघनकर्ता अन्य वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से इन चौकियों को दरकिनार कर रहे हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि नालागढ़, ऊना, नूरपुर और पांवटा-साहिब जैसे क्षेत्र अवैध खनन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक कार्यों जैसे सड़क निर्माण और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए आवश्यक कच्चे माल की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि खनन नियमों के सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से नए संसाधनों का वैज्ञानिक और उचित दोहन किया जाना चाहिए। उन्होंने खनन अधिकारियों को नियमित तौर पर खनन स्थलों की निगरानी करने के निर्देश दिए तथा कहा कि अवैध खनन से बचने तथा राजस्व अर्जित करने के लिए खानों के पट्टे के लिए अनुमतियां दी जानी चाहिए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उद्योग विभाग का खनन विंग खनन से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रवर्तन एजेंसी है तथा इसे पर्याप्त स्टाफ, वाहन तथा आईटी इत्यादि के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुधारों के बारे में विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलन जिले के अर्की, शिमला जिले के सुन्नी तथा चम्बा जिले के बड़ोह-सिंध में चूना पत्थर की खदानों की नीलामी में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नजीम ने मंत्री को आश्वासन दिया कि व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के अलावा अवैध खनन की जांच के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस ने कहा कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विभाग ने शिमला में ऑनलाइन निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। शिकायतों को प्राप्त करने तथा त्वरित कड़ी कार्रवाई करने के लिए दूरभाष तथा व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं।

राज्य भू-विज्ञानी पुनीत गुलेरिया, संजीव शर्मा,अनिल राणा तथा सुरेश भारद्वाज तथा अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दिए ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को

327 ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100 मेटाडोर मिनी बसों की खरीद भी की जाएगी। इन बसों की उपलब्धता होने से एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति और सेवाओं में भी और सुधार सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं के कारण निगम की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है और निगम की आय में वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की कार्यशैली को दक्ष बनाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। एचआरटीसी ने अपनी बसों में कैशलेस भुगतान विकल्प भी शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि एचआरटीसी राज्य की जीवन रेखा की तरह कार्य कर रहा है इसलिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना निगम का सर्वोच्च दायित्व है। मुख्यमंत्री ने निगम के मण्डल व क्षेत्रीय कार्य स्तर तक प्रदर्शन तथा आय व व्यय की समीक्षा भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार आधारभूत संचरना अनिल कपिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एचआरटीसी के प्रबन्धक निदेशक रोहन चन्द ठाकुर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ आदर्श वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा में कारगर कदम उठाये हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कार्य या परियोजना के लिए बजट आवंटन के उपरान्त उसे पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि की अक्षरशः अनुपालना की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार, राज्य के संसाधनों का संतुलित उपयोग कर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वित्त प्रबंधन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। उन्होंने लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने ई-वितरण, बजट, व्यय, ट्रेजरी इत्यादि से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव वित्त अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव वित्त व निदेशक कोष व लेखा रोहित जम्वाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक दीपक भारद्वाज और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक में उनकी वित्तीय स्थिति, संसाधन व ऋणों से संबंधित विभिन्न विषयों का विस्तृत ब्यौरा लिया और जरूरी दिशा-निर्देश दिये।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बीबीएनडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी से बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण बीबीएनडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 आरम्भ की है। इसका मुख्य उद्देश्य सोलन जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ बीबीएन क्षेत्र में संगठित और सतत् विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी से असंगठित भूमि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित नियोजन से बदलने पर केन्द्रित है। इससे बिना अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के भी बेहतर शहरी योजना और बुनियादी ढांचे का विकास संभव होगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नीति के माध्यम से भूमि मालिकों के सहयोग से भूमि को पूल एवं विकसित करके क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं और नियोजित लेआउट की सुविधा प्राप्त होगी। इस नीति के तहत आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, मिश्रित उपयोग और बुनियादी ढांचे के उन क्षेत्रों में बीबीएनडीए विकास परियोजना को बढ़ावा देगा जिन्हें अनुमोदित विकास योजना के तहत शहरीकरण क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण परियोजनाओं के लिए स्वयं भूमि की पहचान करेगा या फिर विज्ञापनों के माध्यम से भूमि मालिकों को स्वैच्छिक भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भूमि मालिक सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 60 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी भूमि का विवरण ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आवेदनों की 30 दिनों के भीतर जांच की जाएगी, और परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन मांगे जाएंगे।

उन्होंने बताया कि लेआउट की मंजूरी मिलने के बाद इसे दो महीने के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, और भूमि मालिकों को अनुमोदित योजना के अनुसार भूमि क्षेत्र के अनुपात में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद भूमि मालिक आवंटन अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर एक बिक्री विलेख निष्पादित कर भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण को देंगे। भूमि प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिसमें राज्य सरकार पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति बीबीएन क्षेत्र में विकास को सुव्यवस्थित करने, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने से क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है।

हिमाचल में स्थापित होगें इनोवेशन सेन्टर

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज (टास्क) तथा टी-हब का दौरा किया और टी-हब के सीइओ और अन्य अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट की। टास्क एक सोसाइटी है जो भिन्न भिन्न संस्थानों में अपने एक्सपर्ट भेजती है जिससे इंडस्ट्री और संस्थान के मध्य स्किल गैप भरने में सहायता मिलती है। यह सोसायटी डिग्री कॉलेजों, पॉलटैक्निकल कॉलेज और आइटीआई के साथ मिलकर कार्य करती है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल में रोजगार उन्मुखी शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस, ड्रोन प्रशिक्षण, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस जैसे अत्याधुनिक पाठ्क्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों को तेलंगाना की तर्ज पर इनोवेशन पॉलिसी का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रदेश में इस तरह की नीति को शीघ्र लागू करने पर बल दिया ताकि हिमाचल प्रदेश में भी उद्यमिता को ओर बढ़ावा मिल सके। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस तरह के इनोवेशन सेन्टर हिमाचल प्रदेश में खोलने के लिए टी-हब को सहायता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल विकास और उद्यमिता पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है और सरकार के प्रयासों से हिमाचल को कौशल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं क्षेत्र से संबंधित सेतू शर्मा से भी भेंट की। सेतू शर्मा तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मध्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर सचिव तकनीकी शिक्षा कदम संदीप बसंत, निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। बल्क ड्रग पार्क की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आयोजित पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क के लिए सभी विभागों से प्राथमिकता के आधार पर कार्य में तेजी लाने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और राज्य सरकार इस पार्क को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेडएलडी, स्टीम जेनरेशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण, संचालन और रखरखाव को इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण म डल पर एकल बोली में एक साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने परियोजना प्रबंधन परामर्श फर्म को इन तकनीकी उपयोगिताओं के संचालन और रखरखाव के मापदंड तैयार करने के भी निर्देश दिए।

उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल गठित करने के भी निर्देश दिए, ताकि पार्क के निर्माण में उनकी भूमिका को नजरअंदाज न किया जा सके। उन्होंने निविदा दस्तावेजों की तकनीकी बोली की जांच के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर क्षेत्र की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित करने के निर्देश दिए।

हर्षवर्द्धन चौहान ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। समिति ने बल्क ड्रग पार्क के प्रथम चरण में साइट विकास, चारदीवारी, आंतरिक सड़कों के लिए 460 करोड़ रुपये की लागत से निविदा जारी करने की अनुमति दी। 1400 एकड़ भूमि में से प्रथम चरण में 800 एकड़ भूमि विकसित की जाएगी।

इससे पहले, निदेशक उद्योग और बल्क ड्रग पार्क की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के एमडी-एवं-सीईओ डा. यूनुस ने बल्क ड्रग पार्क से संबंधित हाल के विकास को दर्शाते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नजीम, एमडी एचपीएसआईडीसी राजेश्वर गोयल, अतिरिक्त सीईओ उद्योग तिलक राज शर्मा और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

दिव्यांग राहत भत्ता योजना के तहत 130 करोड़ रुपये का प्रावधान

शिमला/शैल। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है।

विभाग की निदेशक किरण भड़ाना के बताया कि निराश्रित एवं दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक समानता, अधिकार संरक्षण एवं उनके सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से योग्य एवं सशक्त बनाने के साथ-साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अभी तक विभिन्न विभागों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ग-तीन और वर्ग-चार श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण निदेशालय के प्रयासों से 227 पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग राहत भत्ता योजना के तहत प्रदेश में 77,453 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1150 रुपये से 1700 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में दिव्यांग पेंशन के लिए 130.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में बिना आय सीमा के 625 रुपये से 5,000 रुपये तक मासिक छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग विवाह अनुदान के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को विवाह के लिए 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विशेष गृह के आवासियों को मुख्य त्योहारों के अवसर पर 500 रुपये की दर से उत्सव अनुदान भी दिया जाता है।

किरण भड़ाना ने बताया कि प्रदेश में 95,105 दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं और सभी कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्रता का लाभ सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

अतुल शर्मा की शिकायत के बाद रेरा की नियुक्तियों पर लगी निगाहें

- क्या सरकार केन्द्र की अधिसूचना को नजरअन्दाज कर पायेगी
- रेरा द्वारा लाखों के सेब खरीदना सवालों में

शिमला/शैल। रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों के पद भरने के लिये प्रक्रिया शुरू हो गई है इस आश्य का विज्ञापन जारी होने के बाद इसके लिये आवेदन आने शुरू हो गये हैं। हिमाचल में अभी तक रेरा के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य सचिव ही नियुक्त रहे हैं। इस बार भी इसमें अपवाद होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव भी इसके लिए आवेदक हो गये हैं। लेकिन इस बार यह चयन सरकार के स्वयं के लिये एक परीक्षा बन चुका है। वैसे तो सरकार के लिये लोकलाज कोई मायने नहीं रखती है। परन्तु जनता में सरकार और सत्ता रूढ़दल के लिये यह चयन ऐसे सवाल खड़े कर जायेगा जिनका प्रभाव दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदम्बरम के साथ सह अभियुक्त हैं और यह मामला अभी तक सीबीआई कोर्ट में लम्बित चल रहा है। मुख्य सचिव ने इस मामले में हर बार व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में छूट ले रखी है। लेकिन यह छूट अदालत की अनुकंपा पर निर्भर है जिसे अदालत बिना नोटिस दिए रद्द भी कर सकती है। फिर केन्द्र के क्रमिक विभाग की 9 अक्तूबर 2024 की अधिसूचना के मुताबिक जिस भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला होगा उसे न तो कोई संवेदनशील पोस्टिंग दी जा सकती है और न ही सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति। किसी भी नियुक्ति के लिये विजिलैन्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वालों के लिये स्टेट विजिलैन्स और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिये केन्द्र के क्रामिक विभाग के माध्यम से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। वैसे राज्य सरकार के क्रामिक विभाग के पास भी यह सूचना उपलब्ध है। फिर एक बार अतुल शर्मा ने भी इस बारे में राज्य सरकार के सारे संबद्ध लोगों को पत्र लिखकर सचेत किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार केन्द्र की अधिसूचना को नजरअन्दाज करने का कितना साहस दिखाती है। क्योंकि केन्द्र के निर्देशों के मुताबिक ऐसे अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले पैन्शन आदि के लाभों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

इसी के साथ पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने भी रेरा के कामकाज पर कड़ी आपत्ति जताते हुये भारती जगत जोशी बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य मामले में यह टिप्पणी की है ''**कि हम रेरा के बारे में बात नहीं करना चाहते। यह उन नौकरशाहों के लिये पुनर्वास केन्द्र बन गया है जिन्होंने अधिनियम की पूरी योजना को ही असफल कर दिया है।**'' सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी अपने में ही बहुत गंभीर है। फिर हिमाचल में भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल में जमीन खरीदने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति वान्छित है। गैर कृषक अन्यथा प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। इस प्रतिबंध के बावजूद हिमाचल में रेरा के पास दो सौ से अधिक बिल्डर लिस्टिड हैं और शायद इससे ज्यादा दूसरे हैं जो रेरा की सूची में नहीं हैं। फिर हिमाचल में रेरा के धन से एचपीएमसी से लाखों का सेब खरीदकर प्रदेश से बाहर उपहार स्वरूप भेजा गया है। उससे सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को ही बल मिलता है। इससे प्राधिकरण के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जब अतुल शर्मा ने वाकायदा शिकायत भेज कर इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्योंकि चयन प्रक्रिया में प्रदेश उच्च न्यायालय की अहम भूमिका है। अतुल शर्मा ने जो शिकायत सरकार को भेजी है उसे पाठकों के सामने रखा जा रहा है ताकि सरकार के बारे में पाठक अपनी एक निष्पक्ष राय बना सके।

Shimla,
Dated: 14.01.2025

To

1. The DGP Vigilence,
   State of H.P., Shimla.
2. The Director (Vigilence),
   State of H.P., Shimla.

Sub: Application seeking Review of Vigilence Clearance Certificate issued to Shri Prabodh Saxena, in violation of Office Memorandum, dated 09.10.2024.

Sir(s),

That one Shri Prabodh Saxena, IAS, is presently posted at the Chief Secretary, State of H.P. The said Mr. Saxena is due to superannuate in March, 2025. The post of Chairman, RERA, State of H.P., has fallen vacant after the superannuation of Shri Shrikant Baldi. The State of H.P. has invited applications for the said post vide advertisement dated 03.01.2025, published in the Newspapers. Shri Prabodh Saxena is one of the applicants for the said post.

The Vigilence Clearance obtained by Shri Prabodh Saxena in order to apply for the above-stated post of Chairman, RERA, State of H.P., is defective as the same does not take into consideration the Revised Guidelines regarding Grant of Vigilence Clearance, issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training, dated 09.10.2024. It is a known fact that Shri Prabodh Saxena is an accused in a case under the Prevention of Corruption Act, pending adjudication before the Special Judge (PC Act) Rouse Avenue, New Delhi. This fact stands informed to the State of H.P. by the Investigating Officer vide letter dated 30.05.2022 sent to the Special Secretary (Personnel), State of H.P. The said fact is further confirmed by order dated 30.09.2022 of the Special Judge (PC Act), Rouse Avenue, New Delhi, whereby Shri Prabodh Saxena has been granted permanent exemption from putting in appearance in the Criminal Case on the ground that on account of his official compulsions and engagements he may not be able to present himself on each and every date.

It is, therefore, requested that in view of the above-stated position, the Vigilence Clearance Certificate issued to Shri Prabodh Saxena, in violation of Office Memorandum, dated 09.10.2024, may be reviewed in order to avoid the appointment of a charge-sheeted person to the sensitive post of Chairman, RERA, State of H.P., in the interest of law and justice.

Thanking You.

Yours faithfully,

ATUL SHARMA
ATUL AVENUE NEAR
STATE CID OFFICE
KASUMPTI SHIMLA-9
9999099114

Copy to:

1. His Excellency, The Governor, State of H.P., for information.
2. Shri Sukhvinder Singh Sukhu, Hon'ble Chief Minister, State of H.P., for information.
3. Hon'ble Mr. Justice Gurmeet Singh Sandhawalia, Hon'ble Chief Justice, State of H.P., for information.
4. Shri Rajesh Dharmani, Hon'ble Minister (TCP & Housing), State of H.P., for information.
5. Shri Onkar Chand Sharma, Additional Chief Secretary (Vigilence), State of H.P., for information.
6. Shri Sharad Lagwal, Principal Secretary (Law), State of H.P., for information.
7. Shri Devesh Kumar, Principal Secretary (Housing), State of H.P., for information.

सुक्खू सरकार ने .....पृष्ठ 1 का शेष बैंस के आरोपों में .....पृष्ठ 1 का शेष

खड़े किए हैं।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि यदि धन की व्यवस्था की तंगी है तो ऐसे में बड़ी मात्रा में ओएसडी और सलाहकार कैबिनेट रैंक पर लगाकर प्रदेश के धन का अपव्यय क्यों किया जा रहा है? हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि आप जनता को बरगलाने के लिये शोशे छोड़ते हैं। आपने एक शोशा छोड़ा सब्सिडी छोड़िये, दो महीने हो गये जनता को उसी के अन्दर बरगलाकर रखा है। वास्तविक बात यह है कि आप सरकार के खर्चों में कटौती न करके हिमाचल की जनता के पर बोझ डाल रहे हैं।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि आज आप बिजली की सब्सिडी के उपर इतना शोर मचा रही है, वो जनता 300 यूनिट फ्री बिजली, जिसका नारा लगाकर आप सत्ता में आये थे, उसका इन्तजार कर रही है और आप सब्सिडी छोड़ने के नाम पर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। उन्होनें कहा कि यही स्थिति बेरोजगारों की भी है। आपके मंत्री आज जोर-जोर से बोल रहे हैं कि हमने 30 हजार नौकरियां दे दी लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके ब्यान है कि हम पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियां देंगे और पांच साल में पांच लाख रोजगार देंगे। सवा दो साल बाद घोषणा कर रहे हैं कि हमने 30 हजार नौकरियां दे दी जबकि हम तो कहेंगे कि आपने 300 भी नहीं दी और बात 30 हजार की बात कर रहे हैं। इस प्रकार केवल प्रवास करने से, केवल नये-नये शोशे छोड़ने से हिमाचल का कल्याण होने वाला नहीं है, इसके उपर सवा दो साल के बाद आपने केवल और केवल भाजपा को गाली देने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होनें कहा कि अच्छा होगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को जो आपने वायदे किए, गारंटियां दी, जो उनको धोखा दिया, उसके लिए हिमाचल की जनता से माफी मांगे। और खनन व्यवसायी ज्ञान संजय शर्मा, संजय धीमान, विधायक रामकुमार और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव आदि बैंस के मुताबिक सब पिक्चर में आ गये। बैंस ने सबकी भूमिका का विस्तार से खुलासा किया है। इसी भूमिका में यह सामने आया है की बैंस के मनाली की जमीन को बैंक के माध्यम से नीलाम करवाकर प्रियंका गांधी को यह जमीन गिफ्ट करने का खेल रचा जा रहा था। बैंस को केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा जब से उसने ई.डी में शिकायत की है सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बैंस के इन आरोपों के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केन्द्र उसके आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। बैंस के मामले में जब डीआरटी ने बैंक की कार्यवाही पर स्टे लगा दिया तो उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक की सारी कारवाई कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। जब 2017 में प्रॉपर्टी की Distress कीमत 75 करोड़ है तो 2021-22 में वह घटकर 20 करोड़ कैसे रह सकती है? जब प्रोजेक्ट शुरू में 65 करोड़ का अप्रूव हुआ तो पहली किस्त जारी होने के बाद उसे घटाया क्यों गया? प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बैंस की गैरहाजरी में कैसे संभव हो सकती है? जब लॉकडाउन में भारत सरकार ने सारे बैंक को निर्देश दे रखा था कि सबको लॉकडाउन में कोई भी काम न होने पर वसूली आदि की कारवाई न की जाये तो उसका लाभ बैंक ने बैंस को क्यों नही दिया। अब इन सारे सवालों का जांच के दौरान क्या जवाब आता है इस पर सब की निगाहें लगी रहेगी। क्योंकि इस प्रकरण में मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका गांधी तक का नाम उछला है। जो कांग्रेस की सेहत के लिये राज्य से लेकर केन्द्र तक घातक होगा।